

बिहार सरकार,  
खान एवं भूतत्व विभाग।

पत्रांक-1/एम.एम.(बा०)-०९/१८ - ...../एम०, पटना, दिनांक—  
प्रेषक,

फैक्स/  
ई० मेल

सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

रजनीश कुमार,  
ग्राम-पहाड़पुर,  
पो०-दरियापुर, थाना-बरहिया,  
पिन कोड-811302, बिहार।

विषय:-

लखीसराय जिलान्तर्गत मौजा-टकारी लखापुर में ई-बिडिंग द्वारा बंदोबस्त  
बालूधाट के खनन योजना के अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मामले में निदेशानुसार कहना है कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली (यथा संशोधित) 2014 में वर्णित प्रावधानों के तहत लखीसराय जिलान्तर्गत मौजा-टकारी लखापुर में ई-बिडिंग द्वारा बंदोबस्त बालूधाट (पाँच प्लॉट का कुल क्षेत्रफल लगभग 24.9 हेक्टेक्टर) के खनन योजना का अनुमोदन विभागीय प्राधिकृत समिति द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम 22(2) एवं (3) के साथ सह पठित अनुसूची (IV) के कंडिका-4 के अन्तर्गत दी गई है। बालू बंदोबस्तधारी द्वारा निम्न शर्तों का अनुपालन बाध्यकारी होगा—

1. उक्त खनन योजना केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विनियमित अन्य सभी अधिनियम/ नियमावली में वर्णित प्रावधानों को तथा किसी न्यायालय/अन्य न्यायिक संस्था द्वारा पारित किये गये न्यायादेश को बिना प्रभावित किये अनुमोदित किया जा सकता है।
2. उक्त खनन योजना का अनुमोदन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित), बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 (यथा संशोधित), बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 (यथा संशोधित), वन संरक्षण अधिनियम, 1980, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986, श्रम संबंधी नियम तथा अन्य सभी सुसंगत अधिनियम/ नियमावली तथा उनमें वर्णित प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. बंदोबस्तधारी द्वारा खनन योजना में निहित शर्तों का पालन करते हुए ही बालू खनिज का खनन् तथा प्रेषण किया जायेगा।
4. बंदोबस्तधारी द्वारा उन्हें निर्गत स्वीकृति आदेश में निहित शर्त तथा अन्य शर्तों/ निदेशों का पालन करना होगा।
5. बंदोबस्तधारी द्वारा संबंधित सक्षम प्राधिकार से यथा वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विभाग को अवगत कराया जाएगा।

6. यदि किसी भी समय स्वीकृति आदेश तथा खनन योजना में वर्णित शर्तों के अनुपालन में अनियमितता पायी जाती है, तो संबंधित जिला के खनन पदाधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
7. संबंधित बंदोबस्ती क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता, पहुँच पथ का निर्माण तथा अन्य खनन कार्यों से संबंधित सम्पूर्ण जबाबदेही बंदोबस्तधारी की होगी तथा इसमें किसी भी तरह का कोई दावा अथवा क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगा।
8. अनुमोदित खनन योजना में विचलन/उल्लंघन की स्थिति में संबंधित खनन योजना को रद्द किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्रवाई का अधिकार सरकार को होगा।
9. बंदोबस्तधारी को पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण-पत्र में वर्णित शर्त एवं बंधेजों का पालन सुनिश्चित करना होगा तथा उत्पादन प्रेषण का ऑकड़ा एवं पंजी संधारित करना होगा।
10. घटों की सीमांकन करना एवं उसे खनन के क्रम में संधारित करना बंदोबस्तधारी की जबाबदेही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित करवाकर खनन कार्य करना होगा।
11. खनन योजना में वर्णित सभी तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं से संबंधित ऑकड़ों की सत्यता/वैधता की सम्पूर्ण जिम्मेवारी बंदोबस्तधारी की होगी तथा भविष्य में उपर्युक्त के संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की पूरी जबाबदेही बंदोबस्तधारी की होगी।
12. खनन कार्य के दौरान बंदोबस्तधारी द्वारा नदियों के प्राकृतिक बहाव आदि में किसी भी तरह का व्यवधान/रुकावट/बदलाव करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।
13. विहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 (यथा संशोधित) में वर्णित प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी प्रकार का खनन कार्य वर्जित होगा।
14. विहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 एवं संशोधित नियमों में वर्णित शर्तों का अनुपालन बंदोबस्तधारी को करना होगा। स्थानीय व्यक्तियों को नियोजन देने के दृष्टिकोण से manual mining को उचित अवसर प्रदान करना होगा।

निर्देशित किया जाता है कि समर्पित खनन योजना में उल्लेखित योजना एवं उपरोक्त शर्तों के प्रावधानों के अन्तर्गत ही बालू का उत्खनन कार्य सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-  
(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—...../एम०, पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:— समाहर्ता, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त प्रस्ताव की DEIAA की बैठक में रख EC हेतु कार्रवाई की जाय।

ह०/-  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—146/एम०, पटना, दिनांक—३/१/१८

प्रतिलिपि:— खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, लखीसराय को (अनुमोदित खनन योजना की प्रति) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ।।।।।

।।।।।  
सरकार के अवर सचिव।